

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



एस.जी.-डी.एल.-अ.-30082022-238467
SG-DL-E-30082022-238467

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 401]	दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 30, 2022/भाद्र 8, 1944	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 234
No. 401]	DELHI, TUESDAY, AUGUST 30, 2022/BHADRA 8, 1944	[N. C. T. D. No. 234

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

पुरातत्व विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 29 अगस्त, 2022

सं. फा. 2(24)/स्था./पुरातत्व/2017/1325.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना सं. फा. 27/59—एचआईएम (i) के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 7 अप्रैल 1988 की अधिसूचना सं० फा० 4(5)/86—एमओएनयू द्वारा अधिसूचित प्रलेख अधिकारी के पद के भर्ती नियमों तथा 8 जून 1989 की अधिसूचना संख्या फा. 4/5/86—एमओएनयू/778 द्वारा अधिसूचित उत्तरवर्ती संशोधन के अधिक्रमण में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा पुरातत्व विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में 'सहायक पुरातत्वविद्' के पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

- संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :- (1) इन नियमों को पुरातत्व विभाग, 'सहायक पुरातत्वविद्' के पद हेतु भर्ती नियमावली 2022 कहा जाएगा।
(2) ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
- पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर :- उक्त पद की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
- भर्ती पद्धति, आयु सीमा तथा योग्यता इत्यादि :- उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (11) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. अयोग्यता :— ऐसा कोई भी व्यक्ति

(क) जो किसी व्यक्ति के जीवित पति/पत्नी के होते हुए विवाह करता है या विवाह का अनुबंध करता है, या

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है,

वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार है/हैं किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकेगा।

5. शिथिल करने की शक्ति :—जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो आदेश द्वारा तथा कारणों को अभिलेखबद्ध करते हुए संघ लोक सेवा आयोग व्यक्तियों की किसी श्रेणी या वर्ग के संबंध में इन नियमों के उपबंधों में से किसी को भी शिथिल कर सकेंगे।

6. बचाव:— इन नियमों की किसी भी बात का भारत सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक, तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबन्धित किये जाने के लिये आरक्षण अपेक्षित आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

1.	पदनाम	सहायक पुरातत्वविद्।
2.	पदों की संख्या	04* (2022) *इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर है।
3.	वर्गीकरण	सामान्य केन्द्रीय सेवा अलिपिकीय अराजपत्रित, समूह 'ख'।
4.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	स्तर —6 (35400—112400 /— रुपये)
5.	क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद है	लागू नहीं।
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	30 वर्ष से अधिक नहीं। टीप —1 केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिये 5 वर्ष तक शिथिलनीय। टीप —2 आयु सीमा निर्धारण के लिए निर्णायक तिथि दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा यथाविज्ञापित होगी।
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	अनिवार्य : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पुरातत्व में मास्टर डिग्री अथवा पुरातत्व एवं विरासत प्रबंधन में मास्टर डिग्री अथवा भारतीय इतिहास (विषय/पेपर के रूप में प्राचीन भारतीय इतिहास या मध्यकालीन भारतीय इतिहास सहित) में मास्टर डिग्री अथवा मानव शास्त्र (विषय/पेपर के रूप में पाषाण युगीन पुरातत्व सहित) में मास्टर डिग्री अथवा भू विज्ञान (विषय/पेपर के रूप में प्रातिनूतन युगीन भू विज्ञान) में मास्टर डिग्री। वांछनीय : पुरातत्व संस्थान, भारत सरकार से पुरातत्व में स्नातकोत्तर डिप्लोमा या पुरातत्व के क्षेत्र में कम से कम दो वर्ष का अनुभव। टीप 1 — अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए योग्यता डीएसएसएसबी/सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय है। टीप 2 — यदि चयन की किसी अवस्था में डीएसएसएसबी / सक्षम प्राधिकारी के अभिमत से अनुसूचित जाति या जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन जातियों के उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में मिलने की संभावना नहीं है, तो अनुभव संबंधी योग्यताएं डीएसएसएसबी / सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय है।

8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	आयु – लागू नहीं। शैक्षणिक योग्यता – लागू नहीं।
9.	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	दो वर्ष।
10.	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या विलयन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	सीधी भर्ती द्वारा। टीप – व्यक्ति के प्रतिनियुक्ति पर या लम्बी बीमारी के कारण या अध्ययन अवकाश या अन्य परिस्थितियों के कारण एक वर्ष या अधिक लम्बी अवधि के लिये कार्य से अलग रहने के कारण रिक्त पद को प्रतिनियुक्ति के आधार पर केन्द्र सरकार में नियमित आधार पर समरूप पदधारी तथा कॉलम सात के अन्तर्गत सीधी भर्ती के लिये निर्धारित योग्यताएं रखने वाले अधिकारियों में से भरा जा सकता है।
11.	यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / विलयन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / विलयन किया जाना है	लागू नहीं।
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?	विभागीय स्थायीकरण समिति 1. वित्तीय आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार – अध्यक्ष। 2. पुरातत्व विभाग का प्रशासनिक सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार – सदस्य। 3. विशेष /अपर सचिव (सा0प्र0वि0), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार –सदस्य
13.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श आवश्यक नहीं है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर,
स्वाति शर्मा, सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा)

DEPARTMENT OF ARCHAEOLOGY

NOTIFICATION

Delhi, the 29th August, 2022

No. F. 2(24)/Estt./Archy/2017/1325.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, read with Government of India, Ministry of Home Affairs notification number F. 27/59-Him(i) dated the 13th July, 1959 and in supersession of the recruitment rules for the post of Documentation Officer notified vide notification No. F. 4(5)/86-Monu. dated 07th April, 1988 and subsequent amendment notified vide notification No. F. 4/5/86-Monu/778 dated 08th June, 1989, the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to make the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Archaeologist in the Department of Archaeology, Government of National Capital Territory of Delhi, namely:-

1. Short Title and Commencement.—(1) These rules may called the Department of Archaeology for the post of Assistant Archaeologist Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. Number of Posts, its classification and level in pay matrix.—The number of the said post, its classification and level in pay matrix attached thereto shall be as specified in column (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualification etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post, shall be as specified in the columns (5) to (11) of the said Schedule.

4. Disqualifications.—No persons, -

(a) Who has entered into or contracted marriage with a person having a spouse living; or

(b) Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with orders issued by Government of India from time to time, in this regard.

SCHEDULE

1.	Name of Post.	<i>Assistant Archaeologist.</i>
2.	Number of Posts.	04* (2022) * Subject to variation dependent on workload.
3.	Classification.	General Central Service Non Ministerial Non-Gazetted Group, B.
4.	Pay Level in the Pay Matrix.	Level – 6 (Rs. 35400-112400/-).
5.	Whether Selection Post/Non-Selection Post.	Not Applicable.
6.	Age limits for Direct Recruits.	Not Exceeding 30 Years. Note 1 : Relaxable for Government Servants up to five years in accordance with instructions or orders issued by the Central Government. Note 2 : The crucial date for determining the age-limit will be as advertised by the Delhi Subordinate Services Selection Board.
7.	Educational and other qualification required for direct recruits.	Essential: Masters degree in Archaeology or Masters degree in Archaeology and Heritage Management or Masters degree in Indian History (with Ancient Indian History or Medieval Indian History as a subject/paper) or Masters degree in Anthropology (with stone-age Archaeology as a subject/paper) or Masters degree in Geology (with Pleistocene Geology as a subject/paper) from a recognized University or Institute. Desirable: Post-Graduate Diploma in Archaeology from Institute of Archaeology, Government of India or at least two years' experience in the field of archaeology.

		<p>Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of DSSSB/Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 2: The qualifications regarding experience is/are relaxable at the discretion of DSSSB/Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p>
8.	Whether age and educational qualification prescribed for Direct Recruitment will apply in the case of promotees.	<p>AGE : Not Applicable.</p> <p>EQ : Not Applicable.</p>
9.	Period of Probation if any.	Two years.
10.	Method of Recruitment.	<p>By Direct Recruitment.</p> <p>Note : Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government holding analogous posts on regular basis and possessing the qualifications prescribed for direct recruits under Col.7.</p>
11.	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption grades from which promotion/deputation/ absorption to be made.	Not Applicable.
12.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	<p>Departmental Confirmation Committee</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Financial Commissioner, Government of National Capital Territory of Delhi : Chairman. 2. Administrative Secretary of the Department of Archaeology, Government of National Capital Territory of Delhi : Member. 3. Special/Additional Secretary (GAD), Government of National Capital Territory of Delhi : Member.
13.	Circumstances in which UPSC to be consulted in making recruitment.	Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.

By Order and in the Name of Lieutenant Governor of
the National Capital Territory of Delhi,
SWATI SHARMA, Secy. (ACL)